



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 19, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

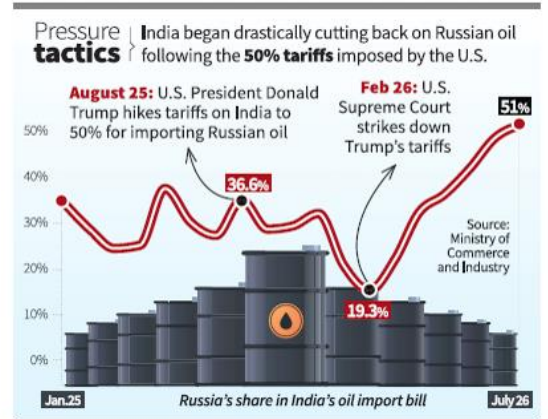
1. अमरीकी आर्थिक दबाव के बीच भारत की तेल आयात रणनीति में बदलाव.....	2
2. पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कड़े 'रेड एंटी' नियमों का प्रस्ताव.....	4
3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीबीएफसी के लिए नए फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देश अधिसूचित किए.....	5
4. राज्य लोक सेवा आयोगों में संस्थागत अखंडता और सुधार.....	7
5. मानवजनित ध्वनि प्रदूषण से हिमालयी मोनाल के बायोएकॉस्टिक्स में बदलाव.....	9
6. हॉकिश या डविश? अमेरिकी फेड रेट वृद्धि की अलग-अलग व्याख्याएं.....	10
7. लेखापरीक्षा (ऑडिट) में विवाह सहायता के लिए ओडिशा कल्याण रिकॉर्ड में हेरफेर का खुलासा.....	12
8. भारत के स्वदेशी डीप-टेक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की संस्थागत नींव और विकास.....	13
9. ग्राहम विधेयक और एकतरफा द्वितीयक प्रतिबंधों का थोपा जाना.....	15
10. गहरे समुद्र में अन्वेषण बनाम दोहन: भारत का पारिस्थितिक शासन मोर्चा.....	16

1. अमरीकी आर्थिक दबाव के बीच भारत की तेल आयात रणनीति में बदलाव

मुख्य बातें और सारांश

- **प्रतिबंधों का प्रभाव:** पिछले एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि अमरीका के प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों (जैसे वेनेजुएला, ईरान और रूस) से भारत का कच्चे तेल का आयात अमरीकी व्यापारिक दबाव के सीधे अनुपात में घटता-बढ़ता है।
- **रूसी आयात में उतार-चढ़ाव:** भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच 30%-40% थी, जो अमरीकी शुल्क (टैरिफ) में 50% की वृद्धि के बाद फरवरी 2026 में घटकर 19.3% रह गई। इसके बाद अनुकूल कानूनी घटनाक्रमों के कारण जुलाई तक यह पुनः बढ़कर 51% हो गई।
- **ईरानी और वेनेजुएला के आयात में कमी:** अमरीकी दबाव के कारण भारत के आयात में वेनेजुएला के कच्चे तेल की हिस्सेदारी 2017-18 में 6.7% से घटकर 2021-22 तक शून्य हो गई, जबकि ईरानी तेल का आयात लगभग 10% से घटकर 2020-21 तक शून्य पर आ गया।

- **रणनीतिक स्वायत्तता पर भारत का रुख:** विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत का ऊर्जा क्रय पूरी तरह से "राष्ट्रीय हित" और बाजार में उपलब्धता से संचालित होता है।
- **द्विपक्षीय प्रभावों पर चेतावनी:** आधिकारिक बयानों में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमरीका के प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय साझेदारी की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- **व्यापार संरक्षण में संतुलन:** भारत बाहरी भू-राजनीतिक निर्भरताओं को प्रबंधित करते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक उपायों का निरंतर मूल्यांकन करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **द्वितीयक प्रतिबंध (सेकंडरी सेंक्शन्स):** किसी विदेशी देश द्वारा तीसरे पक्ष के देशों या कंपनियों पर उन संस्थाओं के साथ व्यापार करने के लिए लगाए गए गैर-द्विपक्षीय आर्थिक दंड, जिन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी):** विदेश नीति का एक ऐसा सिद्धांत जिसके तहत कोई संप्रभु राष्ट्र अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व व्यापार के संदर्भ में स्वतंत्र निर्णय लेता है।
- **ऊर्जा कूटनीति (एनर्जी डिप्लोमेसी):** किफायती दरों पर निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ विदेश नीति के साधनों का सुनियोजित एकीकरण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्रस्तुत करता है, जो विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत निष्पादित विदेशी मामलों, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तक विस्तारित है।
- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** केंद्र सरकार को आयात और निर्यात कार्यों को विनियमित करने वाली नीतियां बनाने का अधिकार देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्थाओं के अनुसार आवश्यक रणनीतिक समायोजन संभव हो सके।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था:** अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रेखांकित किया गया है जहाँ एकतरफा द्वितीयक शुल्क संप्रभु समानता के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन और मुक्त व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों का परीक्षण करते हैं।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति व्यावहारिक दृष्टिकोण और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच गतिशील संतुलन बनाती है। यद्यपि राष्ट्रीय हित विविध वैश्विक स्रोतों से किफायती ऊर्जा खरीदने का निर्देश देता है, लेकिन व्यावहारिक बजारी वास्तविकताएं उच्च-दबाव वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्थाओं के दौरान समय-समय पर पुनर्समायोजन के लिए मजबूर करती हैं। प्रमुख वैश्विक रणनीतिक साझेदारों के साथ आर्थिक तनाव को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के व्यापक राजनयिक ढांचे में एक केंद्रीय चुनौती बनी हुई है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारतीय प्रवासी और विदेश नीति, भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, रणनीतिक स्वायत्तता, द्विपक्षीय समझौते (भारत-अमरीका, भारत-रूस)।
- **जीएस पेपर-III (अर्थव्यवस्था):** ऊर्जा सुरक्षा, आयात निर्भरता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, भुगतान संतुलन, विदेश व्यापार नीति।

2. पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कड़े 'रेड एंट्री' नियमों का प्रस्ताव

मुख्य बातें और सारांश

- **राजस्व दंडों को सख्त करना:** केंद्र सरकार ने पराली जलाने में शामिल किसानों के लिए राजस्व रिकॉर्ड में "रेड एंट्री" व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से CAQM ढांचे के तहत अद्यतन नियमों का मसौदा तैयार किया है।
- **ऋण पर प्रतिकूल प्रभाव:** भूमि रिकॉर्ड में रेड एंट्री होने से किसान संस्थागत कृषि ऋण प्राप्त करने, भूमि गिरवी रखने या राज्य की सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं।
- **निश्चित वैधता अवधि:** मसौदा नियमों के तहत, रेड एंट्री घटना की तारीख से 15 महीने तक मान्य रहेगी। यदि कोई दोहराव नहीं होता है और पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी।
- **गैर-अनुपालन पर विस्तारित अवधि:** पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने या बार-बार फसल अवशेष जलाने पर रेड एंट्री की सजा अतिरिक्त 15 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी।
- **क्षतिपूर्ति कोष का उपयोग:** एकत्र की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग फसल अवशेष प्रबंधन, बायोमास उपयोग अनुसंधान, फसल विविधीकरण और मशीनरी सब्सिडी में किया जाएगा।
- **राज्य के हस्तक्षेप और विरोध:** हरियाणा जैसे राज्य उल्लंघनकर्ताओं को 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' जैसे पोर्टलों पर पंजीकृत करते हैं ताकि 2 साल के लिए योजनागत लाभों से वंचित किया जा सके, जबकि किसान संघ और राज्य नेता आपराधिक एफआईआर (FIR) का विरोध करते हुए इसके बजाय नकद प्रोत्साहन की वकालत करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पराली जलाना:** अगली बुवाई के मौसम के लिए खेतों को जल्दी साफ करने के उद्देश्य से कटाई के बाद फसल अवशेषों (जैसे धान की पराली) को जानबूझकर जलाना।

- **रेड एंट्री (लाल प्रविष्टि):** पर्यावरण या प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करने पर भू-स्वामी की संपत्ति के खिलाफ आधिकारिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई एक दंडात्मक टिप्पणी।
- **पर्यावरण क्षतिपूर्ति:** अनधिकृत गतिविधियों के कारण हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए 'प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत' (पोल्यूटर पेज़ प्रिंसिपल) के आधार पर प्रदूषकों पर लगाया गया वित्तीय जुर्माना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तारित करके गंभीर वायु प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के अधिकार को इसमें शामिल किया है।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021:** यह CAQM को नियम बनाने, पर्यावरण क्षतिपूर्ति लागू करने और एनसीआर राज्यों में प्रदूषण विरोधी उपायों का समन्वय करने का अधिकार देता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15:** यह पर्यावरण क्षरण का कारण बनने वाली गतिविधियों के खिलाफ जुर्माना लगाने और अनुपालन लागू करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

यद्यपि रेड एंट्री के माध्यम से कड़ा निवारण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों के वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन केवल प्रशासनिक दंडों को ही किसान समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ता है। दंडात्मक प्रवर्तन को प्रोत्साहन-आधारित दृष्टिकोणों (जैसे पराली प्रबंधन के लिए वित्तीय मुआवजा, व्यवहार्य मशीनरी तक पहुंच, और टिकाऊ खेती को अपनाने पर रेड एंट्री को जल्दी हटाना) के साथ संतुलित करना कृषि आजीविका से समझौता किए बिना दीर्घकालिक पर्यावरणीय अनुपालन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-II (शासन और नीतियां):** केंद्र-राज्य समन्वय, क्षेत्रीय विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, पर्यावरण शासन में प्रशासनिक तंत्र।
- **जीएस पेपर-III (पर्यावरण और कृषि):** पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (वायु गुणवत्ता सूचकांक), फसल अवशेष प्रबंधन, टिकाऊ कृषि पद्धतियां, कृषि ऋण और सब्सिडी।

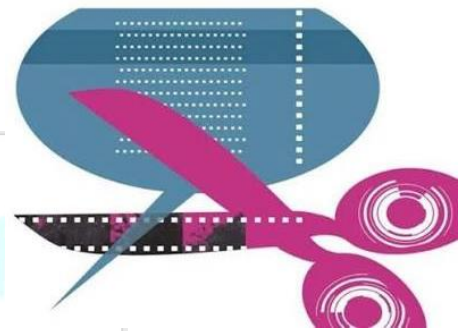
3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीबीएफसी के लिए नए फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देश अधिसूचित किए

मुख्य बातें और सारांश

- **अद्यतन प्रमाणन नियम:** सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के लिए नए फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है, जिसमें 1991 के संस्करण के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए दो मुख्य नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

- **अनिवार्य नशा-विरोधी चेतावनी:** मादक द्रव्यों या साइकोट्रोपिक पदार्थों के सेवन, तस्करी या उपयोग को दर्शाने वाली फिल्मों में यह वैधानिक चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है: "अवैध मादक पदार्थ स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और कारावास की गारंटी देते हैं, ड्रग्स को कहें ना"।
- **नया आयु-वर्गीकरण संरेखण:** दिशा-निर्देश माता-पिता के मार्गदर्शन में सहायता के लिए सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के तहत निर्दिष्ट आयु-आधारित उप-श्रेणियों—यूए 7+, यूए 13+, और यूए 16+—को व्यावहारिक रूप से लागू करते हैं।
- **समाज-विरोधी सामग्री पर प्रतिबंध:** CBFC को यह सुनिश्चित करना होगा कि दृश्य असामाजिक गतिविधियों, हिंसा, शराब पीने को महिमामंडित न करें या अपराधों को बढ़ावा देने वाली आपराधिक कार्यप्रणालियों को न दिखाएं।
- **संवेदनशील समूहों की सुरक्षा:** बच्चों को हिंसा और उत्पीड़न के पीड़ितों, अपराधियों या जबरन गवाह के रूप में चित्रित करने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों का उपहास करने या जानवरों के प्रति क्रूरता पर रोक लगाई गई है।
- **उद्योग जागरूकता अभियान:** सीबीएफसी अध्यक्ष शशी शेखर वेम्पति ने फिल्म निर्माताओं और व्यापार संघों से प्रमाणन के लिए सामग्री जमा करने से पहले संशोधित ढांचे की पूरी समीक्षा करने का आग्रह किया।

I&B Ministry notifies new film certification guidelines for CBFC



आवश्यक परिभाषाएं

- **फिल्म प्रमाणन:** सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले सिनेमैटिक सामग्री की समीक्षा करने और उसे आयु-उपयुक्तता तथा सामाजिक मानकों के आधार पर वर्गीकृत करने की नियामक प्रक्रिया।
- **यूए श्रेणी (अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु माता-पिता का मार्गदर्शन आवश्यक):** एक ऐसा वर्गीकरण जिसमें माता-पिता या अभिभावकों की सतर्कता की आवश्यकता होती है कि क्या एक निश्चित आयु (7, 13, या 16 वर्ष) से कम उम्र के बच्चों को फिल्म देखनी चाहिए।
- **साइकोट्रोपिक पदार्थ:** ऐसे प्राकृतिक या सिंथेटिक ड्रग्स जो मानसिक प्रक्रियाओं, भावनात्मक स्थितियों या व्यवहार में बदलाव लाते हैं, और भारतीय कानून के तहत सख्त कानूनी नियमन के अधीन हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2):** लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता और संप्रभुता के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:** फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए वैधानिक ढांचा स्थापित करता है और सीबीएफसी को फिल्म प्रमाणन देने, अस्वीकार करने या संशोधित करने का अधिकार देता है।
- **सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024:** आधुनिक दर्शकों की जनसांख्यिकी और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ फिल्म नियमन को संरेखित करने के लिए परिचालन मानकों और आयु वर्गीकरण मेट्रिक्स को अद्यतन करता है।

निष्कर्ष

नए अधिसूचित दिशा-निर्देश रचनात्मक स्वतंत्रता और जिम्मेदार सामग्री प्रसार के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। लक्षित नशा-विरोधी चेतावनियों और आयु-विशिष्ट श्रेणियों को पेश करके, मंत्रालय हानिकारक मीडिया चित्रणों से सार्वजनिक स्वास्थ्य, बाल अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करते हुए माता-पिता के विवेक को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-II (राज्यव्यवस्था और शासन):** नियामक निकाय (CBFC), सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार बनाम उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19), सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाल संरक्षण पर सरकारी नीतियां।
- **जीएस PAPER-I (भारतीय समाज):** सामाजिक मूल्यों पर जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, संवेदनशील समूहों की सुरक्षा (बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति), नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ जन जागरूकता।

4. राज्य लोक सेवा आयोगों में संस्थागत अखंडता और सुधार

मुख्य बातें और सारांश

- **केपीएससी अध्यक्ष का निलंबन:** कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष शिवशंकराप्पा एस सहकार को गंभीर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों में सीआईडी (CID) जांच के बाद राज्यपाल द्वारा निलंबित कर दिया गया था।
- **भाई-भतीजावाद और धोखाधड़ी के आरोप:** जांच से खुलासा हुआ कि अध्यक्ष की बेटी ने कथित तौर पर एक नकली आय प्रमाण पत्र जमा करके ओबीसी आरक्षण श्रेणी के तहत एक सरकारी पद हासिल किया, जिसमें पिता की मासिक संवैधानिक आय ₹3.60 लाख से अधिक होने के बावजूद वार्षिक पारिवारिक आय ₹40,000 होने का दावा किया गया था।
- **पेपर लीक और चयन घोटाले:** एक दूसरी प्रमुख जांच बिचौलियों के माध्यम से पशुचिकित्सा अधिकारी पदों के उम्मीदवारों को परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने से जुड़ी है, जिसमें परीक्षण से पहले चयनित उम्मीदवारों को रिसॉर्ट्स में कोचिंग दिए जाने की रिपोर्ट है।
- **न्यायिक टिप्पणियां:** उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि भर्ती में इस तरह की व्यवस्थित अनियमितताएं सार्वजनिक रोजगार को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक जनादेश पर आघात करती हैं और योग्यता-आधारित व्यवस्था (मेरिटोक्रेसी) को नष्ट करती हैं।
- **थर्ड पार्टी लीक और ओएमआर हेरफेर:** अतिरिक्त प्राथमिकी (FIR) में गोपनीय उम्मीदवार डेटा के अनधिकृत साझाकरण और बड़ी मौद्रिक राशि के बदले ओएमआर (OMR) उत्तर पुस्तिकाओं को बदलने के प्रस्तावों का आरोप लगाया गया है।

- संस्थागत ओवरहाल की मांग: राजनीतिक हस्तियों और सिविल सेवा उम्मीदवारों ने भर्ती ढांचे में व्यापक सुधार के लिए स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी जांच (CBI) और संरचनात्मक सुधारों की मांग की है।

आवश्यक परिभाषाएं

- राज्य लोक सेवा आयोग

(SPSC): राज्य स्तर पर स्थापित

एक संवैधानिक निकाय जो सिविल सेवा नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने और उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।

- भाई-भतीजावाद (नेपोटिज्म):** सत्ता या प्रभाव रखने वाले लोगों द्वारा रिश्तेदारों या दोस्तों का पक्ष लेने का अभ्यास, विशेष रूप से उन्हें नौकरियां देकर या सार्वजनिक चयन प्रक्रियाओं में अनुचित लाभ पहुंचाकर।
- संवैधानिक विशेषाधिकार और उन्मुक्ति:** अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों को दी गई सुरक्षा, यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें केवल उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, हालांकि कार्यवाही के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबन निष्पादित किया जा सकता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

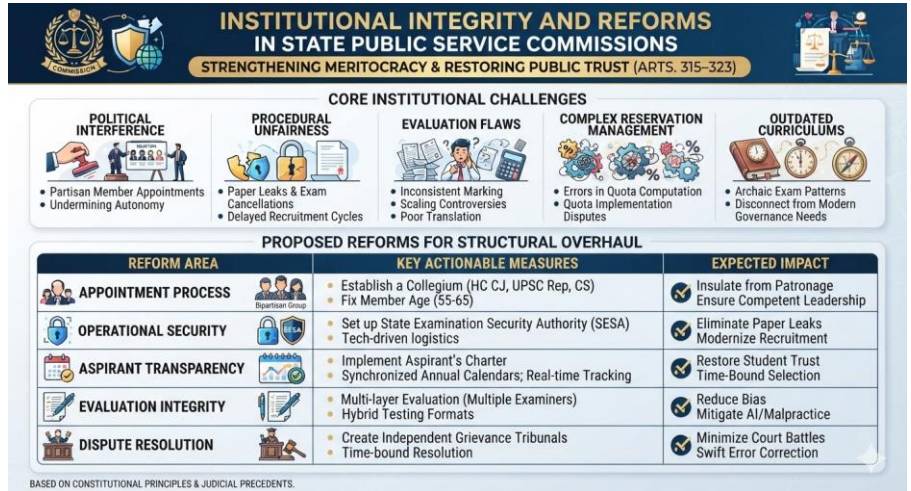
- संविधान का अनुच्छेद 315 से 323:** लोक सेवा आयोगों की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य और स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 317:** दुर्व्यवहार या दिवालियापन के आधार पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने और निलंबित करने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 16:** राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी की रक्षा के लिए लोक सेवा आयोगों के भीतर अखंडता सर्वोपरि है। प्रणालीगत लीक, फर्जी आरक्षण दावे और भर्ती में भ्रष्टाचार योग्यता-आधारित शासन को कमजोर करते हैं। राज्य भर्ती निकायों में विश्वसनीयता बहाल करने के लिए त्वरित दंडात्मक कार्रवाई, परीक्षा प्रोटोकॉल में बढ़ी हुई डिजिटल पारदर्शिता और अनुच्छेद 317 के तहत संवैधानिक निष्कासन तंत्र का सख्त पालन अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर-II (राजव्यवस्था और शासन):** संवैधानिक निकाय (SPSC/UPSC), नियुक्ति और निष्कासन प्रक्रियाएं, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- जीएस पेपर-IV (नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा):** लोक सेवा मूल्य, सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार, शासन में ईमानदारी, प्रशासनिक कामकाज में नैतिक दुविधाएं और हितों का टकराव।



5. मानवजनित ध्वनि प्रदूषण से हिमालयी मोनाल के बायोएकॉस्टिक्स में बदलाव

मुख्य बातें और सारांश

- **स्वर व्यवहार में अनुकूलन:** हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (HNBGU) द्वारा किए गए एक बायोएकॉस्टिक अध्ययन से पता चला है कि हिमालयी मोनाल मनुष्यों के बढ़ते शोर के स्तर के जवाब में अपनी कॉल आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) और आयाम (एम्प्लीट्यूड) को बदल देता है।
- **तुलनात्मक स्थल निष्कर्ष:** चोपता घाटी—अत्यधिक तीर्थयात्रा यातायात और सड़कों से चिह्नित एक क्षेत्र—में मोनाल ने अबाधित मदमहेश्वर घाटी के मोनाल की तुलना में काफी उच्च-आवृत्ति वाली आवाजें निकालीं।
- **प्रजनन तंत्र में व्यवधान:** आवाज की बढ़ी हुई पिच और वॉल्यूम ध्वनिक मास्क़िंग (अकॉस्टिक मास्क़िंग) को रोकने के लिए एक अनुकूली प्रयास का संकेत देते हैं, हालांकि बढ़ा हुआ शोर हस्तक्षेप लंबी दूरी के नर-मादा मिलन की आवाजों और संचार को खतरे में डालता है।
- **प्रजातियों का वितरण और स्थिति:** हिमालयी मोनाल (लोफोफोरस इंपेयानस) उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में वितरित है।
- **पारिस्थितिकी खतरे:** हालांकि IUCN रेड लिस्ट में इसे "कम से कम चिंताजनक" (लीस्ट कंसर्न) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही, सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तार और वाहनों का शोर नाजुक उप-अल्पाइन आवासों को परेशान करता है।
- **टिकाऊ पर्यटन प्रबंधन:** शोधकर्ता क्षेत्रीय पर्यटन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय पर्यावरण-संवेदनशील परिदृश्य प्रबंधन, वाहन गति नियंत्रण और ध्वनि में कमी पर जोर देते हैं।

How human-made noise is changing the call of an eye-catching Himalayan bird



आवश्यक परिभाषाएं

- **बायोएकॉस्टिक्स (जैव-ध्वनिकी):** जीव विज्ञान और ध्वनिकी (अकॉस्टिक्स) को मिलाने वाला एक अंतःविषय विज्ञान जो जैविक जीवों में ध्वनि उत्पादन, फैलाव और ग्रहण की जांच करता है।
- **ध्वनिक मास्क़िंग (अकॉस्टिक मास्क़िंग):** एक ऐसी घटना जहां पृष्ठभूमि का मानवजनित शोर जानवरों की आवाजों के साथ ओवरलैप हो जाता है, जिससे उस दूरी को कम कर दिया जाता है जिस पर सजातीय जीवों द्वारा ध्वनिक संकेतों को समझा जा सकता है।
- **निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी (PAM):** वन्यजीवों की आवाजों और साउंडस्केप्स की लगातार निगरानी करने के लिए स्थिर ऑडियो रिकॉर्डर का उपयोग करने वाली एक गैर-आक्रामक पारिस्थितिक नमूनाकरण विधि।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** हिमालयी मोनाल अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध है, जो भारत में शिकार, जाल में फंसाने और व्यापार के खिलाफ उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त करता है।

- **ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिनियमित, संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों के पास स्वीकार्य डेसिबल मानक और शांत क्षेत्र (साइलेंस ज़ोन) मानदंड निर्धारित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का आदेश देता है, जबकि नागरिकों पर वन्यजीवों की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने का एक मौलिक कर्तव्य लागू करता है।

निष्कर्ष

यह अध्ययन उच्च ऊंचाई वाले पक्षी जीवों पर संवेदी पर्यावरण प्रदूषण के कपटी प्रभावों को रेखांकित करता है। संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में अनियंत्रित पर्यटन अवसंरचना ध्वनिक बाधाएं पैदा करती है जो वन्यजीव प्रजनन और सामाजिक गतिशीलता को खतरे में डालती है। पर्वतीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए ध्वनि नियंत्रण और पर्यावरण-संवेदनशील ज़ोनिंग के साथ इको-टूरिज्म के विकास का समन्वय करना अनिवार्य बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी):** जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (ध्वनि प्रदूषण)।
- **जीएस पेपर-I (भूगोल):** पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, हिमालयी वनस्पतियों और जीवों का वितरण, नाजुक आवासों पर अनियोजित पर्यटन का प्रभाव।

6. हॉकिश या डविश? अमेरिकी फेड रेट वृद्धि की अलग-अलग व्याख्याएं

मुख्य बातें और सारांश

- **अमेरिकी फेड दर में वृद्धि:** अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड्स रेट (FFR) को 25 आधार अंकों (बेसिस पॉइंट्स) से बढ़ाकर 3.75% से 4% की सीमा में कर दिया, जो एक निर्णायक मौद्रिक कड़ाई (मॉनेटरी टाइटनिंग) कदम को दर्शाता है।
- **मुद्रास्फीति पर कड़ा (हॉकिश) रुख:** 2% के लक्ष्य से अधिक लगातार मुद्रास्फीति पर चिंताओं से प्रेरित, यह निर्णय समग्र मांग को ठंडा करने और कीमतों को स्थिर करने के लिए ऋण लागत को बढ़ाता है।
- **दोहरे जनादेश की प्राथमिकता:** एकल-लक्ष्य ढांचे वाले केंद्रीय बैंकों के विपरीत, अमेरिकी फेड मूल्य स्थिरता (2% लक्ष्य) और अधिकतम रोजगार को संतुलित करने वाले दोहरे जनादेश के तहत काम करता है।
- **आर्थिक अनुमानों का सारांश (SEP):** फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के अनुमान संशोधित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि, कम बेरोजगारी पूर्वानुमान, और 2028 तक बनी रहने वाली मुद्रास्फीति के दबाव का संकेत देते हैं।
- **नरम (डविश) तर्क:** बाजार विश्लेषकों का तर्क है कि मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियादी बातों के बीच आगे और कड़ाई की उम्मीदों को देखते हुए 25 आधार अंकों की मामूली वृद्धि अपेक्षाकृत नरम (डविश) है।

- **राजनीतिक गतिशीलता और बाहरी दबाव:** ब्याज दर समायोजन ने ब्याज दर के स्तरों पर राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया, जिससे कार्यकारी विकास प्राथमिकताओं और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के बीच चल रहा तनाव उजागर हुआ।

आवश्यक परिभाषाएं

- **फेडरल फंड्स रेट (FFR):** अमेरिकी फेड द्वारा निर्धारित लक्ष्य ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक रात भर के लिए अपने अतिरिक्त भंडार को एक दूसरे से उधार लेते हैं और देते हैं।
- **हॉकिश नीति (कड़ी नीति):** मुद्रास्फीति नियंत्रण और मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने वाला एक मौद्रिक रुख, जिसे आमतौर पर आर्थिक ओवरहीटिंग को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाकर निष्पादित किया जाता है।
- **डविश नीति (नरम नीति):** एक मौद्रिक दृष्टिकोण जो आर्थिक विस्तार और रोजगार सृजन का पक्ष लेता है, आमतौर पर ब्याज दरों को बनाए रखकर या घटाकर लागू किया जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** भारत में मौद्रिक नीति ढांचे को नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति समिति (MPC) के माध्यम से धारा 45ZB के तहत लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) व्यवस्था स्थापित करता है।
- **केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता:** अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक न्यायशास्त्र और अनुच्छेद 246 (संघ सूची मद 38) के तहत, केंद्रीय बैंक ब्याज दर के फैसलों को राजनीतिक चक्रों से अलग करने के लिए परिचालन स्वायत्तता के साथ काम करते हैं।
- **बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) ढांचा:** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत विनियमित, जो वैश्विक दर परिवर्तनों से प्रभावित भारतीय फर्मों के लिए एक्सपोजर सीमा और उधार लागत तय करता है।

निष्कर्ष

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक समायोजन जिद्दी मुद्रास्फीति को रोकने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाते हैं। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अमेरिकी ब्याज दर में बदलाव पूंजी प्रवाह पुनर्समायोजन, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आयातित मुद्रास्फीति की चिंताओं को ट्रिगर करते हैं। मैक्रो-वित्तीय अस्थिरता को बफर करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और सक्रिय घरेलू नीति समायोजन बनाए रखना मौलिक बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** मौद्रिक नीति समिति (MPC), मुद्रास्फीति प्रबंधन, पूंजी का बहिर्वाह, विनिमय दर में अस्थिरता, बाहरी वित्तीय झटकों का प्रभाव।
- **जीएस पेपर-II (शासन):** वित्तीय संस्थानों की नियामक स्वतंत्रता, केंद्रीय बैंक के जनादेश का तुलनात्मक विश्लेषण (RBI बनाम US Fed)।

7. लेखापरीक्षा (ऑडिट) में विवाह सहायता के लिए ओडिशा कल्याण रिकॉर्ड में हेरफेर का खुलासा

मुख्य बातें और सारांश

- **कल्याणकारी धोखाधड़ी का पता:** ओडिशा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पर सीएजी (CAG) की मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय सहायता का अनुचित लाभ उठाने के लिए उपयोग किए गए फर्जी विवाह रिकॉर्ड के लगभग 2,000 मामलों का पर्दाफाश हुआ।
- **विवाह पंजीकरण तिथियों में विसंगतियां:** विश्लेषण में 676 विवाह प्रमाणपत्र ऐसे मिले जिनमें पंजीकरण की तिथियां विवाह की वास्तविक तिथि से पहले दर्ज की गई थीं, जो मूल पंजीकरण नियमों का उल्लंघन करती हैं।
- **सिस्टम डिज़ाइन और पोर्टल की खामियां:** निर्माण श्रमिक पोर्टल के शुभारंभ के बाद, कमजोर डिजिटल सत्यापन जांच के कारण 1,257 धोखाधड़ी वाले मामलों के तहत कुल ₹6.29 करोड़ का अवैध भुगतान हुआ।
- **रजिस्टर रखरखाव में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं:** लेखापरीक्षा निरीक्षणों में पाया गया कि स्थानीय ब्लॉक विकास कार्यालयों (BDO) में खाली पत्रों, प्राप्तकर्ता के गायब हस्ताक्षरों और गायब प्रमाणपत्र विवरणों के साथ प्रमाणपत्र रजिस्टर बनाए रखे गए थे।
- **योजना के प्रावधान और बोर्ड का एकत्रित कोष:** यह बोर्ड पंजीकृत महिला लाभार्थियों या 18 वर्ष से अधिक आयु की दो अविवाहित बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता प्रदान करता है, जिसके लिए ₹4,000 करोड़ से अधिक का कोष उपयोग किया जाता है।
- **फर्जी (गोस्ट) लाभार्थी और मृत्यु दावे:** उसी लेखापरीक्षा में मृत्यु सहायता एकत्र करने के लिए 2,400 से अधिक निर्माण श्रमिकों को मृत घोषित किया गया, जबकि उनके प्रोफाइल के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत एक साथ सब्सिडी वाला खाद्यान्न उठाया जा रहा था।

आवश्यक परिभाषाएं

- **सामाजिक लेखापरीक्षा (सोशल ऑडिट):** किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के निष्पादन और निधि उपयोग का एक आधिकारिक मूल्यांकन, जो नियामक नियमों के अनुपालन के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव को मापता है।
- **भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (BOCW) उपकर:** असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी लाभों के वित्तपोषण हेतु निर्माण परियोजना लागतों पर एकत्र किया जाने वाला एक वैधानिक शुल्क।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** रिसाव (लीकेज) को कम करने के लिए लक्षित लाभार्थियों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे कल्याणकारी सब्सिडी स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रशासनिक प्रणाली।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 148 से 151:** सार्वजनिक व्यय और कल्याणकारी निधियों की लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की वैधानिक भूमिका, कर्तव्यों और शक्तियों का विवरण देता है।

- **भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996:** राज्य कल्याण बोर्डों की स्थापना और असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी निधियों के निर्माण का आदेश देता है।
- **उड़ीसा हिंदू विवाह और पंजीकरण नियम, 1960:** विवाह संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर अनिवार्य आवेदन का प्रावधान करता है और विवाहों के पंजीकरण के लिए प्रक्रियात्मक मानक निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

निर्माण कल्याण निधियों के कार्यान्वयन में उजागर हुए प्रणालीगत रिसाव प्रशासनिक कमियों और अपर्याप्त पोर्टल सत्यापन लॉजिक के प्रति कल्याणकारी वितरण ढांचों की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हैं। डिजिटल प्रमाणीकरण तंत्र को मजबूत करना, सख्त रजिस्टर ऑडिट लागू करना और वैधानिक डेटाबेस के बीच अनिवार्य क्रॉस-सत्यापन स्थापित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक निधि वास्तविक असंगठित श्रमिकों तक पहुंचे।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-II (शासन):** सार्वजनिक जवाबदेही में सीएजी की भूमिका, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग और सीमाएं।
- **जीएस पेपर-III (अर्थव्यवस्था और श्रम):** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, बीओसीडब्ल्यू (BOCW) अधिनियम के तहत कोष प्रबंधन, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और राजस्व का रिसाव।

8. भारत के स्वदेशी डीप-टेक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की संस्थागत नींव और विकास

मुख्य बातें और सारांश

- **नवाचार वास्तुकला का उदय:** सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास (R&D), और डीप-टेक स्टार्टअप्स के त्रिपक्षीय अभिसरण के माध्यम से भारत एक तकनीक-आयातक से तकनीक-डेवलपर के रूप में परिवर्तित हो रहा है।
- **पेटेंट आवेदनों में उछाल:** घरेलू पेटेंट आवेदन 2024-25 में 1,10,000 से अधिक से 30.2% बढ़कर 2025-26 में 1,43,000 से अधिक हो गए, जिसमें कुल आवेदनों में घरेलू आवेदकों की हिस्सेदारी लगभग 70% रही।
- **संरचनात्मक R&D कमियां:** पेटेंट आवेदनों की वृद्धि के बावजूद, कम स्वीकृति दर, आवेदनों का वापस लिया जाना (अबांडनमेंट), और कम आर एंड डी खर्च (जीडीपी का 1% से कम, चीन के 2.4% और अमरीका के 3.5% की तुलना में) एक अधूरे व्यवसायीकरण अंतर (कमर्शियलाइजेशन गैप) को उजागर करते हैं।
- **क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सफलताएं:** डीआरडीओ (DRDO) ने रक्षा और 5G/6G उपयोग के लिए गैलियम नाइट्राइड (GaN) सेमीकंडक्टर तकनीक में महारत हासिल की, जिससे आईआईएससी (IISc) स्पिन-ऑफ के माध्यम से घरेलू तकनीक हस्तांतरण के बाद भारत वैश्विक स्तर पर इस क्षमता वाले सात देशों में शामिल हो गया।
- **दूरसंचार में मानक-निर्धारण:** भारत 6G एलायंस और जियो प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से, भारत अंतर्राष्ट्रीय 3GPP दूरसंचार मानकों में भारी योगदान देकर मानक-कार्यान्वयनकर्ता से मानक-निर्धारक के रूप में स्थानांतरित हो रहा है।

- **डीप-टेक और स्वास्थ्य नवाचार:** वेंचर-समर्थित स्टार्टअप्स अग्रणी प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे इम्यूनोएक्ट (ImmunoACT) की नेक्सकार19 CAR-T सेल थेरेपी जो वैश्विक लागत के 1/10वें हिस्से में कैंसर का इलाज प्रदान करती है, साथ ही स्काईरूट और अग्रिकुल द्वारा निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण विकास भी जारी हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **गैलियम नाइट्राइड (GaN) सेमीकंडक्टर:** सैन्य रडार, उपग्रह संचार और 5G/6G नेटवर्क सहित उच्च-आवृत्ति, उच्च-शक्ति अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक वाइड-बैंडगैप सेमीकंडक्टर सामग्री।
- **डीप टेक (Deep Tech):** पर्याप्त वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग नवाचारों पर आधारित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां जिनके लिए दीर्घकालिक आर एंड डी चक्र और महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
- **मानक-आवश्यक पेटेंट (SEPs):** ऐसे पेटेंट जो वैश्विक मानक-निर्धारण संगठनों द्वारा स्थापित विशिष्ट तकनीकी उद्योग मानकों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को कवर करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पेटेंट अधिनियम, 1970:** भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों और अनिवार्य लाइसेंसिंग मापदंडों को प्रदान करने, विनियमित करने और लागू करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** प्रत्येक नागरिक पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का मौलिक कर्तव्य लागू करता है।
- **राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP):** बौद्धिक संपदा (IP) मंजूरी को सुव्यवस्थित करने, सार्वजनिक खरीद शर्तों को सरल बनाने और संस्थागत पूंजी को डीप-टेक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में निर्देशित करने के लिए तैयार की गई है।

निष्कर्ष

भारत का नवाचार परिदृश्य बैंक-ऑफिस आईटी सेवाओं से हटकर रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और बायोफार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा निर्माण की ओर स्थानांतरित हो रहा है। संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना—जैसे कि पेटेंट मंजूरी से लेकर व्यावसायिक उपयोग तक के अंतर को पाटना, राष्ट्रीय आर एंड डी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 1% से ऊपर बढ़ाना, और पेटेंट कार्यालय की जांच क्षमता को मजबूत करना—एक लचीली, आत्मनिर्भर तकनीकी अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नई तकनीकों का विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), अनुसंधान एवं विकास व्यय, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक।
- **जीएस पेपर-II (शासन और नीति):** डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, वैज्ञानिक अनुसंधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक स्वायत्तता।

9. ग्राहम विधेयक और एकतरफा द्वितीयक प्रतिबंधों का थोपा जाना

मुख्य बातें और सारांश

- **तीसरे पक्ष के व्यापार को निशाना बनाना:** अमरीका में प्रस्तावित ग्राहम विधेयक रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए भारत और चीन सहित तीसरे देशों को दंडित करने का प्रयास करता है, जो क्षेत्रीय-सीमा से परे (एक्सट्रा-टेरिटोरियल) आर्थिक अधिकार क्षेत्र के दावे को दर्शाता है।
- **मानदंडों का चयनात्मक अनुप्रयोग:** यह विधान गैर-गठबंधन राष्ट्रों को दंडित करके अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के चयनात्मक पालन का उदाहरण देता है, जबकि कम-संवर्धित यूरेनियम (लो-एनरिचड यूरेनियम) आयात जैसे अमरीकी घरेलू आर्थिक हितों के लिए विशिष्ट छूट बनाए रखता है।
- **जवाबदेही का बाह्यीकरण:** विकासशील उपभोक्ता राष्ट्रों पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की जिम्मेदारी डालकर, यह नीति कार्यकारी प्राधिकरण पर घरेलू राजनीतिक या विधायी जांच से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है।
- **बहुपक्षीय नियमों का क्षरण:** द्वितीयक प्रतिबंधों पर निर्भरता वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को बाधित करती है और संप्रभु सहमति या अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन के बिना बहुपक्षीय व्यापार सिद्धांतों को चुनौती देती है।
- **प्रतिबंधों की जबरदस्ती की सीमाएं:** आधुनिक भू-राजनीतिक गतिशीलता से पता चलता है कि संप्रभु बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एकतरफा द्वितीयक व्यापार बाधाओं के माध्यम से मौलिक ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकताओं को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
- **भारत का नीतिगत रुख:** भारत का विचार है कि राष्ट्रीय ऊर्जा क्रय उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय हित में आधारित है, और इस बात पर बल देता है कि 1.4 अरब नागरिकों की आर्थिक स्थिरता को बाहरी विधानों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **द्वितीयक प्रतिबंध (सेकंडरी सेंक्शन्स):** प्राथमिक लक्षित देश के साथ वैध व्यापार में शामिल होने के लिए किसी तीसरे पक्ष की संस्थाओं या संप्रभु देशों को दंडित करने हेतु एक देश द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड।
- **शाही विशेषाधिकार / क्षेत्रातीतता (एक्सट्रा-टेरिटोरियलिटी):** वह प्रथा जहां एक राष्ट्र संप्रभु विदेशी राज्यों की बाहरी वाणिज्यिक और राजनयिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अपने आंतरिक घरेलू कानूनों को अपनी सीमाओं से परे विस्तारित करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** एक विदेश नीति सिद्धांत जो यह दावा करता है कि एक राष्ट्र बाहरी दबाव के आगे झुके बिना राष्ट्रीय हित, संप्रभु समानता और वैश्विक स्थिरता पर स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(1):** संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के बीच संप्रभु समानता के मूलभूत सिद्धांत को स्थापित करता है, जिससे एकतरफा द्वितीयक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कानून के तहत कानूनी रूप से समस्याग्रस्त हो जाते हैं।
- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** एकतरफा विदेशी व्यापार विकृतियों से राष्ट्रीय व्यापार हित को बचाने के लिए भारत की विदेश व्यापार नीतियों को तैयार करने और विनियमित करने के लिए कार्यपालिका को अधिकृत करता है।

निष्कर्ष

जबरदस्ती वाले द्वितीयक आर्थिक प्रतिबंधों पर निर्भरता एकतरफा व्यापार प्रवर्तन और संप्रभु समानता पर आधारित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है। भारत के लिए, द्विपक्षीय साझेदारियों को निभाते हुए ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करने के लिए रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। क्षेत्रातीत विधायी उपायों के खिलाफ राष्ट्रीय विकासात्मक प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय शासन और स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय लेने को बनाए रखना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, द्वितीयक प्रतिबंध, रणनीतिक स्वायत्तता, भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंध, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संप्रभु समानता का सिद्धांत।
- **जीएस पेपर-III (अर्थव्यवस्था):** ऊर्जा सुरक्षा, विदेश व्यापार विनियमन, घरेलू ऊर्जा बाजारों और मुद्रास्फीति पर वैश्विक भू-राजनीतिक पुनर्संरचना का प्रभाव।

10. गहरे समुद्र में अन्वेषण बनाम दोहन: भारत का पारिस्थितिक शासन मोर्चा

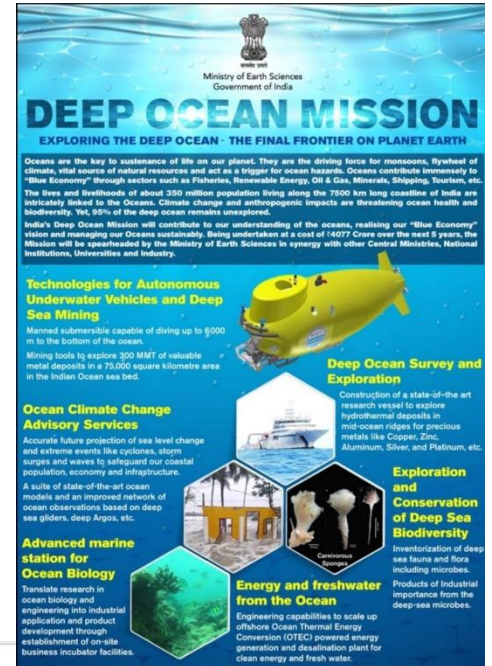
मुख्य बातें और सारांश

- **गहरे समुद्र में पदचिह्न का विस्तार:** भारत के पास मध्य हिंद महासागर बेसिन, मध्य हिंद महासागर रिज और कार्ल्सबर्ग रिज में ~95,000 वर्ग किमी को कवर करने वाले तीन अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) अनुबंध हैं, जो 366 मिलियन टन पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की पहचान करते हैं।
- **स्वदेशी तकनीकी प्रगति:** डीप ओशन मिशन के तहत, भारत ने पानी के नीचे रोबोटिक्स विकसित किया है, एनआईओटी (NIOT) के माध्यम से 5,270 मीटर की गहराई पर खनन प्रणालियों का परीक्षण किया है, और MATSYA-6000 मानव सबमर्सिबल का निर्माण किया है।
- **अन्वेषित जैव विविधता:** 19 समुद्री पर्वतों (सीमाउंट्स) में व्यापक गहरे समुद्र के सर्वेक्षणों ने ~1,300 समुद्री जीवों की पहचान की, जिसमें विज्ञान के लिए नई लगभग 23 प्रजातियां शामिल हैं, जो नाजुक गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को रेखांकित करती हैं।
- **सतर्कतापूर्ण पारिस्थितिक सिद्धांत:** लेख में तर्क दिया गया है कि समुद्र तल के खनिजों (निकल, तांबा, कोबाल्ट, मैंगनीज) के खनन की तकनीकी क्षमता को दोहन की स्वचालित पारिस्थितिक अनुमति में नहीं बदला जाना चाहिए।

- **सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान दें:** समुद्र तल खनन का सहारा लेने से पहले प्राथमिकताओं को संसाधन दक्षता, रीसाइक्लिंग, सामग्री प्रतिस्थापन और खपत में कमी की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए—जो मिशन LiFE के अनुरूप हो।
- **समुद्री शासन में नेतृत्व:** भारत के पास व्यावसायिक समुद्र तल दोहन की तुलना में समुद्री संरक्षण को प्राथमिकता देकर वैश्विक गहरे समुद्र के पारिस्थितिक शासन का नेतृत्व करने का अवसर है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (बहुधातु नोड्यूल):** अतल (एबिसल) महासागरीय तल पर निर्मित चट्टानी खनिज संचयन जिनमें निकल, तांबा, कोबाल्ट, लोहा और मैंगनीज की उच्च सांद्रता होती है।
- **एबिसल ज़ोन (अतल क्षेत्र):** सतह से 3,000 और 6,000 मीटर के बीच की गहराई पर महासागर की परत, जो निरंतर अंधेरे, अत्यधिक दबाव और अद्वितीय जैविक समुदायों द्वारा चिह्नित होती है।
- **मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली):** भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन जो ध्यानपूर्वक उपयोग के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन), 1982:** राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्रों को "मानवता की साझी विरासत" के रूप में नामित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) द्वारा शासित होता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जबकि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति को रोकने के लिए तटीय और समुद्री पर्यावरणीय विनियमन ढांचे को तैयार करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण प्रदान करता है।

निष्कर्ष

भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहाँ गहरे समुद्र की तकनीकी परिपक्वता को पारिस्थितिक प्रबंधन के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक समुद्र तल खनन से कम समझे जाने वाले समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँचने का जोखिम है। सावधानीपूर्वक सिद्धांतों को शामिल करके, चक्रीय संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देकर और वैज्ञानिक संरक्षण के लिए डीप ओशन मिशन का उपयोग करके, भारत टिकाऊ समुद्री शासन के एक वैश्विक मॉडल का नेतृत्व कर सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर-III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी):** संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), समुद्री जैव विविधता संरक्षण, डीप ओशन मिशन, सतत विकास लक्ष्य (SDG 14: जल के नीचे जीवन)।

- **जीएस पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** गहरे समुद्र में खनन प्रौद्योगिकियां, MATSYA-6000 सबमर्सिबल, संसाधन निष्कर्षण बनाम पारिस्थितिक संरक्षण।

